

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

➤ बारां में एसीबी की आकस्मिक चौकिंग में कृषि विपणन बोर्ड के सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता से 1.41 लाख रुपये की संदिग्ध नकदी बरामद, राशि जप्त एवं पूछताछ जारी है

जयपुर, दिनांक 28.08.2025। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान द्वारा आज गुरुवार को बारां में एसीबी की कोटा सिटी इकाई द्वारा आकस्मिक चौकिंग की कार्यवाही की गई।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि गोपनीय सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर मांगरोल रोड, समसपुर चौराहे, बारां पर टीम द्वारा अचानक चौकिंग की गई। इस दौरान कार्यालय अधीशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड बारां में पदस्थापित श्री अंकित शर्मा पुत्र श्री नन्दकिशोर शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 34 वर्ष, निवासी मीणा कॉलोनी, परसुराम नगर थाना माउण्टाउन, जिला सवाईमाधोपुर (हाल सहायक अभियन्ता, खण्ड बारां) एवं श्री रविकान्त मीणा पुत्र श्री जसराम मीणा, जाति मीणा, उम्र 30 वर्ष, निवासी लालाराम जी का पुरा, तहसील टोडाभीम, थाना बालघाट, जिला करौली (हाल कनिष्ठ अभियन्ता, खण्ड बारां) को रोककर नियमानुसार तलाशी ली गई तो श्री अंकित शर्मा के बेग में रखी एक सफेद थैली में तीन बण्डल नुमा 500-500 के नोटों की 50-50 हजार की दो गड्डीया व 40 हजार की एक गड्डी कुल 1,40,000/- रुपये बरामद हुए तथा पेन्ट की जेब से 1,075/- रुपये बरामद हुए। इसी प्रकार श्री रविकान्त मीणा की जेब से 1,100/-रुपये प्राप्त हुए।

इसके अतिरिक्त दोनों के बैगों से नाप-तौल से संबंधित इंचटेप, माप पुस्तिकाएँ एवं एक पत्रावली भी मिली। बरामद की गई संदिग्ध राशि एवं सामग्री के संबंध में दोनों अधिकारियों द्वारा कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कोटा रेंज के उप महानिरीक्षक श्री आनंद शर्मा के सुपरविजन में कोटा सिटी इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय स्वर्णकार मय टीम द्वारा उक्त राशि के प्राप्ति स्रोत की संदिग्धता को देखते हुए एसीबी टीम द्वारा राशि को नियमानुसार जप्त किया गया है। डिटेनशुदा अधिकारियों से बरामद राशि एवं दस्तावेजों के संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी है।

प्रथम दृष्टया बरामद राशि दोनों अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट आचरण से अर्जित की जाना प्रतीत होती है।